मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 ओर 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

(पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव, आर. ए. एस.)

मुकदमा नं. 29 / 2019

इकबाल बनाम बरकत वगै0

वादी की ओर से अधिवक्ता तैयब हुसैन की उपस्थिति में इस वाद में आज दिनांक 9/7/25 को हवाई सिंह यादव उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू के समक्ष निपटारे के पेश होने पर आदेश दिया जाता है और डिक्री की जाती है कि वाद वादी स्वीकार किया जाता है तथा राजस्व ग्राम वारिसपुरा स्थित भूमि खसरा नम्बर 26 रकबा 0.90 है0 तथा खसरा नम्बर 27 रकबा 2.42 है0 कुल किता 2 कुल रकबा 3.32 है0 में वादी के हक हिस्से की सीमा तक विक्रय पत्र दिनांक 29.12.2004 को शून्य घोषित किया जाकर वादी इकबाल पुत्र श्री बरकत को मुताबिक वसीयत 1/3 हक हिस्से का, प्रतिवादी संख्या 10 को 1/3 हक हिस्से का तथा प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 14 को सामुहिक रूप से 1/3 हक हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार झुन्झुनू को आदेशित किया जाता है कि वे उक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पालना करें। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 09/07/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा द्वारा जारी किया गया।

09/07/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
स्टाम्प अर्जी दावा	5	स्टाम्प वकालतनामा	
स्टाम्प वकालतनामा	1	स्टाम्प अर्जी	
मेहनतनामा वकील		मेहनतनामा वकील पर	
खर्चा गवाहान		खर्चा गवाहान	
फीस कमिश्नर		फीस कमिशनर	
बाबत इजराय हुक्मनामा		बाबत इजराय हुक्मनामा	
		मुतफरिक	
योग	6	योग	

09/07/25

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू

उपखण्ड अधिकारी झुन्झुनू (राज.)